Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

फा.सं.एल-11/012/2009-एमपीलैड्स

Dated 07.09.2016

सेवा में,

(1) आयुक्त
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम

(2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः एमपीलैड्स के दिशानिर्देशों में ग्रामीण बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शामिल करना ।

महोदय/महोदया,

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व के परामर्श से सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अनुसूचित बैंक हैं तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकांश शेयर होल्डिंग केन्द्र सरकार के पास है । इसके अलावा, अधिकांश आरआरबी कोर बैंकिंग सॉल्युशन कॉम्प्लाइंट (सीबीसी) है तथा इनमें से कुछ अपने ग्राहकों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) तथा मोबाइल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एमपीलैड्स के दिशानिर्देशों के पैरा 4.14 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ शामिल किया जाए और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाए:

"एमपीलैड योजना के प्रयोजनार्थ प्रत्येक संसद सदस्य के लिए जिला प्राधिकारी राष्ट्रीयकृत बैंक (आईडीबीआई बैंक सहित)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ग्रामीण बैंकों) में एक अलग बैंक खाता रखेंगे जो उनके प्रायोजक के रूप में राष्ट्रीकृत बैंक के साथ कोर बैंकिंग के प्लेटफार्म पर है । बैंक खाते में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना कोई बदलाव नहीं किया जाएगा । निधियों को जारी करने के लिए बैंक खाते के ब्यौरे की जानकारी अनुबंध XII में दिए गए प्रपत्र के अनुसार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को दी जाएगी । प्रत्येक संसद सदस्य (वर्तमान तथा भूतपूर्व) से संबंधित वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति जिला प्राधिकारियों द्वारा अनुबंध VI के अनुसार प्रत्येक माह अलग से भेजी जाएगी (जिसे एमपीआर कहा जाता है), जो बैंक खाते में नोडल प्राधिकारी के पास उपलब्ध शेष निधियों को भी दर्शाएगा ।"

2. इसी प्रकार, एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों में जहां भी 'राष्ट्रीयकृत बैंक' शब्द आए, उसे 'राष्ट्रीयकृत बैंक (आईडीबीआई बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (ग्रामीण बैंक) सहित) पढ़ा जाए ।'

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(डी. साई बाबा)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रति:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नोडल सचिव/मुख्य सचिव
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

प्रतिलिपि: वित्तीय सेवा विभाग- उनके का.ज्ञा. सं.6/7/2016-आरआरबी दिनांक 16.08.2016 के संदर्भ में ।